परिशिष्ट

परिशिष्ट–1.1

(संदर्भः कंडिका–1.8.4; पृष्ठ–24)

लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए रोकड़ बहियों की सूची

क्रम सं.	रोकड़ बही के शीर्ष
1.	पं.रा.सं. एवं ग्राम कचहरी के सदस्यों का भत्ता एवं अन्य
2.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना
3.	ग्रा.पं. के लिए आकस्मिक व्यय
4.	ग्राम कचहरी के लिए किराया एवं आकस्मिक व्यय
5.	पंचायत सरकार भवन (पं.रा.वि. के द्वारा)
6.	पं.रा.सं. के लिए अनुग्रह अनुदान
7.	ग्रा.पं. एवं ग्राम कचहरी के लिए पुरस्कार
8.	बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी (बी.जी.एस.वाई.एस.) को अनुदान
9.	अनुबंध आधार पर डी.ई.ओ.
10.	प्रशिक्षण
11.	पं.रा.वि. का आधुनिकीकरण
12.	पंचायत सरकार भवन (एल.ए.ई.ओ के द्वारा)
13.	राज्य चुनाव आयोग (पं.रा.वि.)
14.	चुनाव
15.	ग्राम कचहरी न्याय मित्र/सचिव को मानदेय
16	सचिवालय एवं आर्थिक सेवाएं

*(**स्रोतः** पंचायती राज विभाग के अभिलेखों से प्राप्त जानकारी)*

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भः कंडिका 1.8.5.1; पृष्ठ 26)

राज्य में पी.ई.एस. एप्लीकेशन सॉफ्वेयर के कार्यान्वयन की स्थिति

एप्लीकेशन	विवरण	राज्य में कार्यान्वयन की स्थिति
प्रियासॉफ्ट	अभिश्रव प्रविष्टियों के माध्यम से प्राप्ति एवं व्यय विवरण प्राप्त करता है। रोकड़ बहियां, पंजियां आदि बनाता है।	प्रियासॉफ्ट एप्लीकेशन का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।
प्लान प्लस	सहभागी विकेंद्रीकृत योजना की सुविधा प्रदान करता है एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) की तैयारी करता है।	इसे ई–ग्रामस्वराज एप्लिकेशन में शामिल किया गया है और वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए योजनाएं अपलोड की जा रही हैं। कार्यान्वित
नेशनल पंचायत पोर्टल	पब्लिक डोमेन में जानकारी साझा करने हेतु प्रत्येक पंचायत के लिए डायनेमिक वेब साइट	कार्यान्वित
लोकल गवर्मेंट डायरेक्टरी	स्थानीय सरकारों का विवरण प्राप्त करता है, यूनिक कोड प्रदान करता है और विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के साथ पंचायतों का मैपिंग करता है।	कार्यान्वित
एक्सनसॉफ्ट	कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति के उचित अभिलेखन की सुविधा प्रदान करता है।	अनुपलब्ध
नेशनल एसेट डायरेक्टरी	सृजित/रखरखाव की गई संपत्तियों का विवरण प्राप्त करता है; रखरखाव प्रदान करता है।	अनुपलब्ध
एरिया प्रोफाइलर	पंचायतों के भौगोलिक, जनसांख्यिकीय, अवसंरचनात्मक, सामाजिक–आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन प्रोफाइल को प्राप्त करता है; निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कार्यकर्त्ताओं आदि का विवरण इसमें शामिल है।	अंशतः कार्यान्वित
सर्विसप्लस	सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी प्रदान करने के लिए एक डायनेमिक सर्विस डिलिवरी पोर्टल	अनुपलब्ध
ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल	फीडबैक, प्रशिक्षण सामग्री आदि सहित हितधारकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोर्टल	अनुपलब्ध
सोसल ऑडिट	पंचायत द्वारा किए गए कार्यों को समझना, मापना और सत्यापित करना और उनके सामाजिक प्रदर्शन में सुधार करना	अनुपलब्ध

(स्रोत– पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आर.जी.एस.ए. फ्रेमवर्क)

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भः कंडिका 2.1; पृष्ठ 33)

लेखापरीक्षित इकाईयों की सूची

	इकाई का नाम
1	जिला परिषद्, सारण
2	जिला परिषद्, दरभंगा
3	जिला परिषद्, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)
4	जिला परिषद्, सिवान
5	जिला पंचायत राज कार्यालय, पटना
6	जिला पंचायत राज कार्यालय, दरभंगा
7	जिला पंचायत राज कार्यालय, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)
8	जिला पंचायत राज कार्यालय, सारण
9	जिला पंचायत राज कार्यालय, सीवान
10	पंचायत समिति बहेरी, दरभंगा
11	पंचायत समिति ढाका, मोतिहारी
12	पंचायत समिति दरियापुर, सारण
13	पंचायत समिति बड़हरिया, सीवान
14	ग्राम पंचायत हथौरी (द.), बहेरी
15	ग्राम पंचायत मितुनियां, बहेरी,
16	ग्राम पंचायत बड़हरिया लखनसेन, ढाका,
17	ग्राम पंचायत बलुआ गोवावाडी, ढाका,
18	ग्राम पंचायत बड़हरिया, बड़हरिया,
19	ग्राम पंचायत भामोपाली, बड़हरिया,
20	ग्राम पंचायत जितवारपुर, दरियापुर,
21	ग्राम पंचायत बारवे, दरियापुर,

*(**स्रोत**–लेखापरीक्षा यत्रा कार्यक्रम)*

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भः कंडिका 2.1.1.2; पृष्ठ 35)

पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

क्रम सं.	पंचम राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन की कंडिका सं.	बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं	क्षेत्र अंकेक्षण प्रेक्षण के अनुसार कार्यान्वयन की स्थिति
1.	9.5.2	प्रतिनिधायन के भिन्न प्रतिशत के परिदृश्य के आधार पर, विभाज्य पूल के 2015–16 में 8.5 प्रतिशत और 2016–17 से 2019–20 में 9 प्रतिशत के प्रतिनिधायन की सिफारिश की गई है।	**कार्यान्वित** वर्ष 2016–17 से 2019–20 के लिए विभाज्य पूल के 8.5 प्रतिशत की दर से निधि का प्रतिनिधायन किया गया।
2.	9.5..3	अंतर स्था.नि. वितरणः पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के बीच प्रतिनिधायित निधि वर्ष 2015–16 के लिए 70:30 के अनुपात में और बाद के वर्षों के लिए 60:40 के अनुपात में वितरित किया जाएगा।	**कार्यान्वित** प्रतिनिधायित निधि को 2016–17 से 2019–20 के लिए 70:30 के अनुपात में पं.रा. सं. और श.स्था. नि. के बीच वितरित किया गया था।
3.	9.5.4	पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिनिधायित मद की राशि का वितरण ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् के बीच 70:10:20 के अनुपात में किया जाएगा।	**कार्यान्वित**
4.	9.5.5	पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के बीच प्रतिनिधायित मद की राशि का आवंटन।	**कार्यान्वित** किसी विशेष प्रखड में प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रखंड के यू.डी.आई. (अंडर डेवलपमेंट इंडेक्स) के आधार पर समान हिस्सा नहीं मिला, बल्कि जनसंख्या के अनुसार ग्राम पंचायतों को निधियां निर्गत की गईं।
5.	9.5.8	प्रतिनिधायित निधियां स्पष्ट रूप से स्थानीय निकायों (जो सेल्फ गवर्नमेंट हैं) को ''ब्लॉक फंड'' के रूप में दिया जाएगा। पंचम राज्य वित्त आयोग उस प्राथमिकता में उद्देश्यों के लिए स्थानीय निकायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतिनिधायित निधियों की अनुशंसा करता है।	**कार्यान्वित नहीं किया गया।**
6.	9.6.1	जैसा कि कंडिका 8.9.8 में अनुशंसा की गई है, 2015–16 में कुल पंचम राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण (प्रतिनिधायन+अनुदान) राज्य बजट का 2.75 प्रतिशत, 16–17 और 17–18 में 3 प्रतिशत और 18–19 और 19–20 में 3.25 प्रतिशत होगा।	**आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया।**
7.	9.6.3	अनुदान क्षमता वर्धन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इसका उपयोग (क) मानव बल, प्रशिक्षण, ई–गवर्नेंस, ऑफिस स्पेस, (ख) जी.के., (ग) मास्टर प्लान/सी.डी.पी./डी.पी.आर./जी.आई.एस. मानचित्र तैयार करने, (घ) स्मार्ट और अमरूत शहरों की तर्ज पर मंडल और जिला मुख्यालय का विकास (ड़) पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों को **एस.पी.यू.आर.** की तरह व्यावसायिक सेवाएं, (च) पी.पी.पी. को बढ़ावा देना, (छ) ए.आर.एम. और निष्पादन अनुदान के लिए प्रोत्साहन (कंडिका 8.9.2), (ज) लोकपाल, राज्य संपत्ति कर बोर्ड, शहरी नियामक सहित नियामक निकाय, (झ) डी.एल.एफ.ए. एवं आंतरिक अंकेक्षण (ञ) वित्त विभाग में पंचम राज्य वित्त आयोग सेल को पेशेवर बनाने के लिए किया जाएगा।	**आंशिक रूप से लागू किया गया ।**
8.	9.6.4	पं.रा.वि. पंचायती राज संस्थानों के बीच मद–वार अनुदानों के संवितरण के लिए इस आयोग की अनुशंसाओं की भावनाओं के आधार पर मानदंडों का निर्धारण करेगा। पंचम राज्य वित्त आयोग **अंतरण** का पहला वर्ष होने की वजह से, 2015–16 के लिए अप्रयुक्त अनुदान राशि को 'ब्लॉक फंड' के रूप में वितरित किया जाएगा।	**आंशिक रूप से लागू किया गया ।**
9.	9.6.7	यह दोहराया जा सकता है कि प्रतिनिधियित राशि का उपयोग अनुदान के उन घटकों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।	सुनिश्चित नहीं किया जा सका
10.	9.9	इस बात पर जोर दिया जाता है कि पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल स्थानांतरण (प्रतिनिधायन+अनुदान) स्थानीय निकायों के लिए सामान्य राज्य बजटीय प्रावधानों के अतिरिक्त है।	कार्यान्वित
11.	9.10	एक वर्ष में उपयोग नहीं होने वाली अनुदान राशि, पंचायती राज संस्थाओं को स्मार्ट पंचायतों के लिए 'ब्लॉक अनुदान' (अंतिम तिमाही के प्रथम सप्ताह में) के रूप में दी जाएगी।	**कार्यान्वित नहीं किया गया।**

क्रम सं.	पंचम राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन की कंडिका सं.	बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं	क्षेत्र अंकेक्षण प्रेक्षण के अनुसार कार्यान्वयन की स्थिति
12.	9.11.2 (i)	**स्वयं के अतिरिक्त संसाधन (कर और गैर–कर):** स्थानीय निकायों को अपने स्वयं के संसाधन (कर और गैर–कर) जुटाने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। संयोग से, निष्पादन अनुदानों के लिए 14वीं वित्त आयोग द्वारा लगाई गई शर्तों में से एक शर्त स्वयं के राजस्व में वृद्धि है। इससे उनकी स्वायत्तता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।	**कार्यान्वित नहीं किया गया।**
13.	9.11.2 (ii)	**सार्वजनिक भागीदारी (पी.पी.पी.):** यह स्पष्ट है कि बुनियादी ढाँचे और सेवाओं के अखिल भारतीय स्तर तक पहुँचने के लिए, बिहार स्थानीय निकायों को भारी मात्रा में राशि की आवश्यकता होगी, जिसे राज्य के बजट, वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण, केंद्रीय योजनाओं और स्वयं के राजस्व के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है। बुनियादी ढाँचे और सेवाओं के निर्माण और **संचालन एवं अनुरक्षण** के लिए बड़े पैमाने पर पी.पी.पी. का लाभ उठाना एक आवश्यकता है।	**कार्यान्वित नहीं किया गया।**
14.	9.11.2 (iii)	**उधार लेना:** लंबी अवधि की निवेश योजनाओं के वित्त पोषण के लिए बाजार उधार की संभावनाओं का गंभीरता से पता लगाया जाना चाहिए, बशर्ते कि ऋण सेवा सुनिश्चित हो और स्थानीय या राज्य सरकार की वित्तीय स्थिरता को खतरे में न डाले। परिचालन अधिशेष और स्वयं की पूंजीगत आय का उपयोग सह–वित्तपोषण या ऋण चुकाने के लिए किया जा सकता है।	**कार्यान्वित नहीं किया गया।**
15.	9.11.2 (iv)	**केंद्र और राज्य की योजनाएं:** स्थानीय निकायों को केंद्र एवं राज्य की योजनाओं के तहत उपलब्ध निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए सभी प्रयास करने होंगे। पंचम राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के क्षमता वर्धन के लिए उन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त निधि की अनुशंसा करती है।	**आंशिक रूप से लागू किया गया।**
16.	9.11.2 (v)	**व्यय प्रबंधन:** मजबूत व्यय प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उपलब्ध निधि का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग सेवा वितरण में सुधार और पेशेवर नियोजन संसाधनों और व्यय, व्यय को नियंत्रित करने और निष्पादित करने और व्यय प्रदर्शन की निगरानी के माध्यम से स्थानीय निकायों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है (विवरण कंडिका 10.11 में)	**आंशिक रूप से लागू किया गया।**
17.	9.12 (vi)	13वीं वित्त आयोग और 14वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग के हस्तांतरण को संबंधित स्थानीय निकायों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से सीधे जारी किया जाएगा। जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, राज्य सरकार द्वारा शीघ्र स्थानांतरण के अन्य तरीकों को अधिसूचित किया जाएगा।	**आंशिक रूप से लागू किया गया।** ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के बैंक खातों में सीधे निधियां अंतरित की गईं जबकि पंचायत समितियों के लिए निधियां जिला परिषदों के माध्यम से जारी की गईं
18.	9.12 (vii)	2015–16 के लिए प्रतिनिधायित निधि प्रत्येक पंचायती राज को पिछले वर्ष यानी 2014–15 के संशोधित अनुमान/वास्तविक के आधार पर एक किस्त में जारी की जाएगी। बाद के वर्षों में, जबकि अप्रैल में पूर्ववर्ती वर्ष के **एस.ओ.टी.आर.** के संसोधित अनुमान/वास्तविक के आधार पर हस्तांतरित निधियों के 50 प्रतिशत का पहला आवंटन जारी किया जाएगा, दूसरी किस्त पिछले वर्ष आंतरिक रूप से लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत करने पर अक्टूबर तक जारी की जाएगी, दूसरी किस्त वर्ष के अक्टूबर तक जारी की जाएगी, जो खातों को प्रस्तुत करने के अधीन होगी।	**कार्यान्वित नहीं किया गया।** 2015–16 की राशि जारी नहीं की गई। निधियों को विलम्ब से और पिछले वर्ष के खातों का आंतरिक रूप से लेखापरीक्षित प्रतिवेदन जमा किए बिना ही जारी किया गया।
19.	9.12 (viii)	2015–16 के लिए पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान/वास्तविक के आधार पर एक किस्त में जारी किया जाएगा। बाद के वर्षों में संशोधित अनुमान/वास्तविक के आधार पर प्रथम किस्त को प्रतिनिधायन मद की राशि के साथ निर्गत किया जाएगा (पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान/वास्तविक के आधार पर), दूसरी किस्त भुगतान पिछले वर्ष के 50 प्रतिशत उपयोगिता, आंतरिक रूप से लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत करने पर अक्टूबर तक जारी की जाएगी, दूसरी किस्त वर्ष के अक्टूबर तक जारी की जाएगी जो खातों को प्रस्तुत करने के अधीन होगी।	2015–16 के लिए राशि जारी नहीं की गई। आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से भी लेखापरीक्षित, 50 प्रतिशत की सीमा तक पहली किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र को प्राप्त किए बिना और विलंब से निधियां जारी की गईं।
20.	9.12 (ix)	प्राप्त और उपयोग किए गए प्रतिनिधायन राशि और अनुदान का विवरण संबंधित ग्राम/वार्ड सभाओं के समक्ष और **स्थानीय निकाय** की वेबसाइट पर क्रमशः दिसंबर और मई में वर्ष में कम से कम दो बार रखा जाएगा।	आंशिक रूप से लागू किया गया।
21.	9.12 (x)	यदि कुछ स्थानीय निकाय अनुदान की पहली किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र इसके जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें देय दूसरी किस्त का उपयोग पंचायती राज/शहरी विकास विभागों द्वारा स्थानीय निकायों के क्षमतावर्धन पर किया जाएगा।	कार्यान्वित नहीं किया गया।

क्रम सं.	पंचम राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन की कंडिका सं.	बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं	क्षेत्र अंकेक्षण प्रेक्षण के अनुसार कार्यान्वयन की स्थिति
22.	**9.13.1**	कम से कम जिला परिषदों के मौजूदा कर्मचारियों का वेतन उनके स्वयं के राजस्व से आना चाहिए। राज्य सरकार अधिक से अधिक बकाया की पूर्ति कर सकता था।	आंशिक रूप से कार्यान्वित
23.	**9.13.2**	पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा मानव बल के लिए निर्धारित राशि केवल मॉडल पंचायत संवर्गों के अनुसार नए पदों की स्वीकृति और रिक्त पदों की पूर्ति के लिए है।	कार्यान्वित नहीं किया गया।
24.	**9.13.3**	ई–गवर्नेंस के लिए फंड का उपयोग ई–पंचायत को मिशन मोड में संचालित करने के लिए किया जाना चाहिए।	आंशिक रूप से कार्यान्वित
25.	**10.2.1 (ii)**	डी.पी.सी. को प्रभावी बनाने के लिए इस आयोग द्वारा पर्याप्त मानव बल और आवंटन की अनुशंसा की गयी है।	कार्यान्वित नहीं किया गया।
26.	**10.2.3**	सभी स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों) को संविधान के अनुच्छेद 243 जेड.डी. के तहत परिकल्पित सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करनी चाहिए, जिससे डी.पी.सी. के माध्यम से पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों के लिए एकीकृत जिला योजना तैयार की जा सके। • इसके अलावा, पंचायतों को स्मार्ट पंचायतों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। तद्नुसार यह अनुशंसा की जाती है कि पंचायती राज मंत्रालय के मॉडल दिशानिर्देशों के आधार पर उचित योजना और वितरण पर उचित दिशा–निर्देश पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किए जाएं। • ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की समस्या को देखते हुए पंचायतों के ऊपरी दो स्तरों को लाइन विभागों के समन्वय से आजीविका और समग्र आर्थिक विकास के लिए योजना बनानी चाहिए एवं इनका कार्यान्वयन करना चाहिए।	कार्यान्वित नहीं किया गया।
27	**10.3.6**	बजट तैयार करने और व्यय नियंत्रण को आगे बढ़ाने के लिए निर्वाचित और आधिकारिक दोनों कर्मियों, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों, की पर्याप्त क्षमताा वर्धन होनी चाहिए। • पंचायती राज विभाग को आवश्यक पर्यवेक्षण और सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि बजट समय पर तैयार और अनुमोदित हो और व्यय नियंत्रण के लिए दस्तावेज भी। • चूंकि, पंचायतों को अनुदान के रूप में या राज्य सरकार से या उनके माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लगभग पूरी निधि प्राप्त होती है, इसलिए निधियों की संभावित प्राप्ति की सम्पूर्ण सूचना समय पर पंचायतों को दी जानी चाहिए।	आंशिक रूप से कार्यान्वित
28.	**10.4.10**	• पंचायती राज विभाग को स्पष्ट रूप से प्रक्रियात्मक दिशा–निर्देशों को निर्धारित करने और पंचायत वित्त मैनुअल को प्रसारित करने के लिए नियम बनाने चाहिए। • लेखाओं से संबंधित पदों का सृजन एवं भरना तत्काल किया जाना चाहिए और पदधारियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। • प्रियासॉफ्ट का उपयोग करते हुए पंचायतों के लेखाओं को तत्काल कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए। वर्ष 2016–17 तक सभी जिला परिषदों, वर्ष 2017–18 तक सभी पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के लिए भी इसे लागू होना चाहिए। • पंचायती राज विभाग के पास पंचायत द्वारा लेखाओं के रखरखाव के लिए पर्यवेक्षण और सुविधा की एक मजबूत प्रणाली होनी चाहिए ताकि किसी भी समस्या का पता चल सके और इसके साथ ही उसका समाधान किया जा सके।	कार्यान्वित नहीं किया गया।
29.	**10.6.5 (i)**	राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों द्वारा संपत्ति कर की वसूली के लिए नियम और प्रक्रियाएँ बनानी चाहिए।	कार्यान्वित नहीं किया गया।
30.	**10.6.5 (ii)**	14वी वित्त आयोग ने पहले ही अनुशंसा की है कि राज्यों को विज्ञापन पर कर संग्रह करने के लिए पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु कदम उठाने चाहिए।	कार्यान्वित नहीं किया गया।
31.	**10.6.5 (iii)**	पेशा, व्यापार, व्यवसाय एवं रोजगार पर कर लगाने हेतु ग्राम पंचायतों को समर्थ बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कोई नियम नहीं बनाया गया है, अतः पेशा कर की वसूली नहीं की जा सकती है। वर्त्तमान में अधिकांश कर सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और संगठित निजी क्षेत्रों से एकत्र किए जाते हैं, जो ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। इसलिए, शुद्ध आय को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए।	कार्यान्वित नहीं किया गया।

क्रम सं.	पंचम राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन की कंडिका सं.	बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं	क्षेत्र अंकेक्षण प्रेक्षण के अनुसार कार्यान्वयन की स्थिति
32.	10.6.5 (iv)	1959 में ही बिहार में ग्राम पंचायतों के साथ भू–राजस्व साझा करने की अनुशंसा की गई थी। उस समय राज्य सरकार के लिए भू–राजस्व एक महत्वपूर्ण स्रोत था। किसी भी ग्राम पंचायत से एकत्रित भू–राजस्व की शुद्ध आय ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की जा सकती है।	कार्यान्वित नहीं किया गया।
33.	10.6.5 (v)	कर संग्रहण पर ग्राम पंचायत का समग्र पर्यवेक्षण उसकी बेहतर प्राप्ति के लिए उपयोगी होगा।	कार्यान्वित नहीं किया गया।
34.	10.6.5 (vi)	पंचायतों द्वारा पथ कर, शुल्क, उपभोक्ता प्रभार आदि वसूल करने का प्रावधान है। पंचायतों द्वारा अपनाए जाने के लिए पंचायती राज विभाग को मॉडल उपनियमों के साथ सामने आना चाहिए। अपनाए जाने की प्रक्रिया को पंचायती राज विभाग द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए।	कार्यान्वित नहीं किया गया।
35.	10.6.5 (vii)	राज्य सरकार को पंचायतों के स्वामित्व वाली सभी आर्थिक संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, बाजार, जल निकायों आदि की पहचान और प्रलेखन के लिए एक अभियान प्रारम्भ करनी चाहिए। पंचायतों की आय में सुधार के लिए इन्हें विकसित और प्रबंधित किया जाना चाहिए।	कार्यान्वित नहीं किया गया।
36.	10.6.5 (viii)	पंचायतों को बाजारों, सामुदायिक केंद्रों, बस स्टैंडों जैसे बुनियादी ढाँचे को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो लोगों के लिए फायदेमंद हैं और राजस्व जुटाने में भी सहायक हैं।	सुनिश्चित नहीं किया जा सका
37.	10.6.5 (ix)	नागरिकों के लिए सेवाएं पंचायतों की सबसे अधिक दिखाई देने वाली गतिविधि है और पंचायतों की क्षमता वर्धन के लिए सेवाओं में सुधार और संचालन व रखरखाव शुल्कों के कम से कम कुछ हिस्से की वसूली– दोनों पर पर्याप्त जोर दिया जाना चाहिए।	कार्यान्वित नहीं किया गया।
38.	10.6.6	पंचायतों द्वारा अपने स्वयं के राजस्व के संग्रह को प्रोत्साहित करनाः (i) 14वीं वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए निष्पादन अनुदान की अनुशंसा इस शर्त पर की है कि संबंधित वर्ष में एकत्रित राजस्व पिछले वर्ष में एकत्र की गई राशि से अधिक है। राजस्व एकत्र करने की प्रारंभिक बाधा को पार करने के लिए, प्रारंभ में पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। प्रोत्साहन ग्राम पंचायतों के लिए 1:4, पंचायत समितियों के लिए 1:3 और जिला परिषदों के लिए 1:2 के अनुपात में दिए जाने चाहिए। अर्थात्, ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्वयं के राजस्व के रूप में जुटाए गए प्रत्येक अतिरिक्त ₹ 100, जुटाई गई राशि का चार गुना अर्थात् ₹ 400 दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों के निष्पादन को पहचानने और निष्पादन अनुदान वितरित करने के लिए प्रत्येक जिले में वार्षिक सार्वजनिक समारोह होना चाहिए ताकि पंचायतों के बीच में अधिक राजस्व जुटाने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा हो। (ii) प्रस्तावित टी.एस.एस.पी. को कर एवं गैर–कर राजस्व दोनों के संग्रह की क्षमता में सुधार के साथ ऊपर उल्लिखित कदमों की निगरानी करनी चाहिए।	कार्यान्वित नहीं किया गया।
39.	10.8 (i)	राजस्व (कर एवं गैर–कर) सुधार (i) आरंभ में जिला परिषदों से अपेक्षा की जाती है कि वे कम से कम बैठक के बेंचमार्क को प्राप्त करें (क) उनके स्थापना व्यय का 100 प्रतिशत और (बी) अपने स्रोतों से प्राप्त आय से उनके बुनियादी ढाँचे और सेवाओं के संचालन व रखरखाव; क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने के अंतिम उद्देश्य के साथ उन्हें बाजार से उधार लेने में सक्षम बनाना।	कार्यान्वित नहीं किया गया।
40.	10.9.6 (i)	स्थानीय संपत्तियांः (i) अचल संपत्ति पंजी (एफ.ए.आर.) की सूची बनाना और समय–समय पर अद्यतन करना, निजी उपयोग के लिए संपत्ति आवंटित करने हेतु पारदर्शी प्रक्रियाओं का उपयोग करना, सेवाओं को वितरित करने में उनकी भूमिका के अनुसार संपत्ति को संरेखित करना या वर्गीकृत करना, निर्णय लेने के लिए संपत्ति के बाजार मूल्य का उपयोग करना, परिसंपत्ति प्रतिस्थापन के वित्तपोषण के लिए एक मूल्यह्रास निधि की स्थापना, प्रमुख संकेतकों की निगरानी (जैसे, संपत्ति से संबंधित लागत एवं राजस्व), बुनियादी ढाँचे और भवनों के जीवन चक्र प्रबंधन (मौजूदा और नई पूंजीगत संपत्ति के लिए योजना, संचालन और रखरखाव के व्यय से प्रारम्भ करना), राजनीतिक परिसंपत्ति प्रबंधन योजनाओं आदि जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग आवश्यक रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।	सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
41.	10.9.6 (ii)	ई–पंचायत के 'परिसंपत्ति निर्देशिका' मॉड्यूल का उपयोग करके पं.रा.सं. संपत्ति पंजी ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए।	कार्यान्वित नहीं किया गया।

क्रम सं.	पंचम राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन की कंडिका सं.	बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं	क्षेत्र अंकेक्षण प्रेक्षण के अनुसार कार्यान्वयन की स्थिति
42.	**10.16.3**	प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक प्रबंधन की समकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रमश अध्याय– II और III (पैरा 2.3 और पैरा 3.3.2) में प्रस्तावित मॉडल स्टाफिंग विवरण के अनुसार कर्मचारियों की तत्काल पुनर्रचना करें और सभी स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय) को प्रासंगिक, पर्याप्त और कुशल मानव बल से लैस करें। ऐसा करते समय यह सावधानीपूर्वक निर्धारित किया जाना चाहिए कि कौन से पद नियमित और संविदात्मक होने चाहिए और कौन से कार्यों को आउटसोर्स किया जाना चाहिए।	कार्यान्वित नहीं किया गया।
43.	**10.19.1**	**जवाबदेही और पारदर्शिता:** i) प्रमुख निष्पादन संकेतक स्थापित करने में समुदायों को शामिल करना और निष्पादन पर समुदायों को वापस प्रतिवेदित करना, स्थानीय सरकार प्रणाली में स्थानीय निकायों और सार्वजनिक विश्वास की जवाबदेही को बढ़ाता है। ii) सभी प्रगति और पहलों के विषय में अपने नागरिकों के साथ संपर्क में रहने और अद्यतन रखने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा एक मासिक ई–न्यूजलेटर जारी किया जाना चाहिए। iii) नागरिक संहिता को नियमित रूप से अद्यतन और प्रसारित किया जाना चाहिए और प्रत्येक स्थानीय निकाय के पास उस स्थानीय निकाय के लिए नागरिक संहिता प्रदर्शित करने वाला नोटिस बोर्ड होना चाहिए। iv) पंचायती राज विभाग/शहरी विकास विभाग को सुधारों के स्वामित्व का निर्माण करने और स्थानीय निकाय और नागरिकों के बीच संवाद में सुधार के उद्देश्य से एक संचार सेल की आवश्यकता है। विशिष्ट पहलों के लिए, विश्वसनीयता निर्माण, उद्देश्यों को स्पष्ट करने और अपेक्षित परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्थानीय निकायों और पंचायती राज विभाग/शहरी विकास विभाग से संचार के लिए सभी तंत्रों में एक एकीकृत विषय के साथ सुसंगत संदेश होने चाहिए। इसे किसी पेशेवर फर्म को आउटसोर्स भी किया जा सकता है।	सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
44.	**10.19.2**	**ग्राम सभा और वार्ड सभा:** ग्राम सभा और वार्ड समितियाँ सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। सक्रिय प्रकटीकरण, सूचना और प्रतिक्रिया चैनलों की अधिक पहुंच के माध्यम से नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। वार्ड सभाओं को चुनाव कराकर क्रियाशील बनाया जाना है।	कार्यान्वित।
45.	**10.19.3 (iii)**	तथापि, भ्रष्टाचार और कुशासन की शिकायतों से निपटने के लिए ऊपर से निरीक्षण के लिए लोकपाल और नीचे से ग्राम/वार्ड सभा द्वारा प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण प्रमुख कदम होंगे।	**कार्यान्वित नहीं किया गया।**
46.	**10.19.3 (iv)**	कम्प्यूटरीकृत लेखा और पारदर्शी क्रय प्रक्रिया भी आवश्यक होगी।	सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
47.	**10.19.4**	यह आयोग पंचायती राज विभाग और शहरी विकास के लिए अलग से लोकपाल लाने की तत्काल अनुशंसा करता है क्योंकि उनके कार्य की प्रकृति काफी अलग है और खुद पंचायती राज लोकपाल पर काम का भारी बोझ होगा। इसके अलावा, काफी संख्या में पंचायती राज संस्थाओं को देखते हुए पंचायती राज लोकपाल नियमों में जिला स्तर पर उप लोकपाल के लिए प्रावधान होना चाहिए।	**कार्यान्वित नहीं किया गया।**

*(**स्रोत** : पंचम राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन, जाँच सूची और लेखापरीक्षित इकाइयों के रिकॉर्ड)*

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भः कंडिका 2.1.2.1; पृष्ठ 36)

जिला परिषद्, दरभंगा द्वारा पंचायत समितियों को निधियों के हस्तांतरण में विलंब

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	किस्त	जि.प. में प्राप्त राशि	बैंक खातों में प्रविष्टि की तिथि	बैंक के अनुसार हस्तांतरण की तिथि	हस्तांतरण में विलंब
1.	2016–17	प्रथम	3,80,19.756	10.01.2017	23.01.2017	12 दिन
		द्वितीय	3,80,19,756	30.03.2017	11.04.2017	12 दिन
2.	2017–18	प्रथम	4,32,51,228	08.02.2018	28.02.2018	19 दिन
		द्वितीय	4,32,51,228	31.03.2018	16.05.2018–25.05.2018	46 दिन
3.	2018–19	प्रथम	5,00,55,664	23.10.2018	01.12.2018	38 दिन
		द्वितीय	4,74,56,479	20.03.2019	28.05.2019	69 दिन
4.	2019–20	प्रथम	5,06,41,456	31.10.2019	25.11.2019	26 दिन
		द्वितीय	5,33,45,379	13.04.2020 से 15.04.2020 (सी.एफ.एम. एस.)	19.08.2020 से 28.12.2020 (सी.एफ.एम.एस.)	128 दिन से 257 दिन

*(**स्रोत**–स्वीकृति पत्र एवं पास बुक)*

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भः कंडिका 2.1.2.4; पृष्ठ 37)

पंचायती राज संस्थानों के क्षमतावर्धन हेतु अनुदान विमुक्त करने की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान अनुदान का प्रक्षेपन			**स्वीकृत अनुदान *(₹ करोड. में)***	**वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 के दौरान अनुदान की विमुक्ति**
क	**क्षमतावर्धन**	3,443.00	3,816.32	₹ 3,790.40 करोड़ (₹ 25.92 करोड़ कम विमुक्त)
	(i) मानव बल	2,720.00	3.168.47	₹ 3,168.47 करोड़ का समेकित अनुदान। इसके अतिरिक्त ₹ 252.62 करोड़ जि.प. कर्मचारियों के बकाया वेतन के लिए, ₹ 175.26 करोड़ ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय के लिए तथा ₹ 194.05 करोड़ जिला पंचायत संसाधन केन्द्रों (डी.पी.आर.सी.) के लिए।
	(ii) ई–गवर्नेन्स	305.00	252.62	
	(iii) प्रशिक्षण	380.00	201.18	
	(क) कार्यक्रम	200.00	194.05	
	(ख) संस्थान	180.00		
	(iv) स्मार्ट पंचायतों के लिए सहायता	38.00		
ख	***ग्राम कचहरी***	340.00	209.75	*₹ 209.75 करोड़*
	(v) कार्यालय सहायता	260.00		*₹ 209.75 करोड़*
	(vi) मामले का निपटान	40,00		शून्य
	(vii) विवाद मुक्त गांव	40.00		शून्य
ग	(viii) पंचायत सरकार/जि.प. भवन	470.00	0	शून्य
घ	(ix) जिला योजना समिति	80.00	0	शून्य
ड.	**निष्पादन अनुदान**	**1,400.00**	90	*₹ 8 करोड़* (कम विमुक्तिः *₹ 9 करोड़*)
	(x) अतिरिक्त संसाधन संग्रहण	880.00		शून्य
	(xi) समग्र निष्पादन	520.00		*₹ 81 करोड़*
च	(xii) लोकपाल	20.00	0	शून्य
छ	(xiii) **डी.एल.एफ.ए./आंतरिक अंकेक्षण**	31.20	10	शून्य
ज	(xiv) **वित्त विभाग मे राज्य वित्त आयोग सेल**	0.80	0.25	*₹ 0.25 करोड़*

*(**स्रोत**–स्वीकृति एवं आवंटन पत्र)*

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भः कंडिका 2.2; पृष्ठ 45)

सैरातवार बकाया राशि

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	सैरात का नाम	बोली की रकम	वसूली की गयी राशि	बकाया राशि
वित्तीय वर्ष : 2016–17				
1.	भागीपट्टी झील टैक्सी स्टैंड	11,00,000	1,50,000	9,50,000
वित्तीय वर्ष : 2017–18				
1.	लाईन बाजार	30,000	15,000	15,000
2.	गोपालगंज गुदड़ी बाजार	2,90,100	2,44,000	46,100
कुल योग		**14,20,100**	**4,09,000**	**10,11,100**

परिशिष्ट 2.6 (क)

(संदर्भः कंडिका 2.3; पृष्ठ 47)

उन योजनाओं की विवरणी जिनके लिए तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा कोई अभिलेख नहीं सौपा गया

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	निधि	योजना सं.	प्राक्कृलित राशि	मापी की राशि	संवेदक को अग्रिम	भौतिक स्थिति	टिप्पणी
1	14वीं वित्त	4/15–16	4,70,520	00	4,57,500	कार्य प्रारंभ नहीं	विवरणी तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा वर्त्तमान पंचायत सचिव को सौंपी गयी विवरणी पर आधारित है।
2		5/15–16	3,52,890	00	3,42,500	कार्य प्रारंभ नहीं	
3		01/07–08	5,39,000	00	5,07,500	कार्य प्रारंभ नहीं	
4		02/07– 08	93,000	00	77,500	कार्य प्रारंभ नहीं	
5		03/07– 08	2,96,000	00	2,32,500	कार्य प्रारंभ नहीं	
6		3/10–11	2,04,600	00	1,77,500	कार्य प्रारंभ नहीं	
7		1/11–12	3,72,000	00	3,57,500	कार्य प्रारंभ नहीं	
8		1/14–15	3,95,100	00	3,07,500	कार्य प्रारंभ नहीं	
9	पि.क्षे.अ.नि.	1/15–16	4,90,000	00	4,07,500	कार्य प्रारंभ नहीं	
10		3/15–16	4,00,000	00	3,57,500	कार्य प्रारंभ नहीं	
11		5/15–16	4,81,000	00	4,07,500	कार्य प्रारंभ नहीं	
12		6/15–16	3,16,200	00	3,07,500	कार्य प्रारंभ नहीं	
13		7/15–16	–	00	3,07,500	कार्य प्रारंभ नहीं	
14		8/15–16	2,00,000	00	7,500	कार्य प्रारंभ नहीं	
15		9/15–16	3,45,000	00	1,07,500	कार्य प्रारंभ नहीं	
	कुल योग		**49,55,310**		**43,62,500**		

परिशिष्ट 2.6(ख)

संदर्भः कंडिका 2.3; पृष्ठ 47)

अपूर्ण योजनाओं की विवरणी जिनके लिए तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा केवल मापी पुस्त सौंपी गयी

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	निधि	योजना सं.	प्राक्कलित राशि	मापी की राशि	संवेदक को अग्रिम
1	14वीं वित्त	1/15.16	2,40,800	2,38,761	2,27,500
2		2/15.16	1,72,400	1,72,367	1,57,500
3		3/15.16	1,09,800	1,09,789	1,02,500
4	च.रा.वि.आ.	1/15.16	4,70,520	4,70,523	3,42,500
5	पि.क्षे.अ.नि.	02/12.13*	2,04,600	1,66,033	7,500
6		1/13.14	4,95,000	4,92,625	4,07,500
7		2/15.16	2,71,310	2,71,310	2,57,500
8		4/15.16	3,72,810	3,68,430	3,57,500
		कुल योग	**23,37,240**	**22,89,838**	**18,60,000**

(इस मामले में योजना संचिका, मस्टर रॉल और अभिश्रव तथा मापी पुस्त उपलब्ध कराया गया था परन्तु योजना अपूर्ण थी।)*

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भः कंडिका –3.3.2(i); पृष्ठ–52)

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों/विषयों की सूची

क्र. सं.	बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा	कार्य/विषय
1.	290	नगर योजना को शामिल करते हुए शहरी आयोजना
2.	274 अ एवं 275	भूमि उपयोग व भवन निर्माण का विनियम
3.	45	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना
4.	45	सड़कें एवं पुलें
5.	45 एवं 169–192	घरेलु, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति
6.	45, 193–203 एवं 220–230	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
7.	45, 250–261 एवं 262–268	शहरी वानिकी एवं वातावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना
8.	287	दिव्यांग एवं मंदबुद्धि सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण
9.	287 एवं 289	गंदी बस्ती का सुधार एवं उत्थान
10.	287	नगरीय निर्धनता उन्मूलन
11.	अध्याय 32	नगरीय सुविधाएं जैसे पार्क, बगीचे, खेल के मैदान का प्रावधान
12.	45	सांस्कृतिक शैक्षणिक एवं सौंदर्यात्मक पहलुओं को बढ़ावा
13.	269–272 एवं 421	कब्र और कब्रिस्तान, दाह संस्कार, दाह संस्कार भूमि एवं विद्युत् शवदाह गृह
14.	249 एवं 421	मवेशी के लिए तालाब; जानवरों के प्रति क्रूरता का निवारण
15.	352–353	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े
16.	45	जन सुविधाएं जैसे गलियों में रोशनी, पार्किंग स्थल, बस स्टैण्ड एवं लोक सुविधाएँ
17.	245 एवं 421	कसाईखानों एवं चर्म उद्योगों का विनियमन
18	.	अग्निशमन सेवा

*(**स्रोत** : बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 और संविधान की बारहवीं अनुसूची)*

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भः कंडिका 3.3.2; पृष्ठ–54)

शहरी स्थानीय निकायों में कार्यकारी एवं तकनीकी कर्मियों के रिक्त पद

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	रिक्त पदों की प्रतिशतता	अभियुक्तियाँ
1	नगर आयुक्त	18	11	07	39	नगर आयुक्त, भागलपुर, नगर आयुक्त, मधुबनी, नगर आयुक्त, बेतिया, नगर आयुक्त, सासराम, नगर आयुक्त, मोतिहारी, नगर आयुक्त, समस्तीपुर एवं नगर आयुक्त, सीतामढ़ी अतिरिक्त प्रभार में थे।
2	वरीय अपर नगर आयुक्त	01	00	01	100	यह पद पटना नगर निगम (प.न.नि.) में है।
3	अपर नगर आयुक्त	20	02	18	90	प.न.नि. के लिए तीन पद जबकि शेष नगर निगमों के लिए प्रति नगर निगम एक पद
4	संयुक्त नगर आयुक्त	02	00	02	100	
5	उप नगर आयुक्त	51	22	29	57	प.न.नि. के लिए चार पद जबकि अन्य नगर निगमों के लिए तीन पद
6	कार्यकारी पदाधिकारी+ प्राधिकारियों के सचिव	253 (246+7)	130	123	49	नगर परिषद् के लिए 83 पद; नगर पंचायत के लिए 157 पद एवं प.न.नि., अंचल के लिए छः पद
7	नगर प्रबंधक	391	62 (3 नियमित एवं 59 अनुबंध पर)	329	84	
8	परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर/ उप निदेशक	18	07	11	61	परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर (09)/ उप निदेशक (09)
9	स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन अनुभाग के तहत अधिकारी पद	392	00	392	100	सहायक (286)/उप (83)/ लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी (23)
10	कल्याण एवं पंजीकरण अनुभाग के तहत अधिकारी पद	388	00	388	100	सहायक (281)/उप (83)/ लोक कल्याण एवं पंजीकरण पदाधिकारी (24)
11	राजस्व एवं अंकेक्षण अनुभाग के तहत अधिकारी पद	388	00	388	100	सहायक (281)/अपर (83)/ राजस्व एवं अंकेक्षण पदाधिकारी (24)
12	नगर नियोजन अनुभाग के तहत पर्यवेक्षकीय पद	124	00	124	100	सहायक (107)/उप नगर नियोजन पर्यवेक्षक (17)
13	अभियंता प्रमुख	01	00	01	100	–
14	मुख्य अभियंता (सी.ई.)	05	04	01	20	चार कार्यरत बल में से एक अनुबंध के आधार पर था।
15	अधीक्षण अभियंता (एस.ई.)	21 (सिविल–19; यांत्रिक–02)	15 (सिविल–14; यांत्रिक–01)	06 (सिविल–05; यांत्रिक–01)	29	15 कार्यरत बल में से 11 पद अनुबंध के आधार पर थे।

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	रिक्त पदों की प्रतिशतता	अभियुक्तियाँ
16	कार्यपालक अभियंता (ई.ई.)	86 (सिविल–70; यांत्रिक–06; विद्युत्–10)	50 (सिविल–45; यांत्रिक–03; विद्युत्–02)	36 (सिविल–25; यांत्रिक–03; विद्युत्–08)	42	दोनों कार्यपालक अभियंता (विद्युत्) प्रतिनियुक्ति पर थे।
17	सहायक अभियंता (ए.ई.)	264 (सिविल–193; यांत्रिक–67; विद्युत्–04)	225 (सिविल–179; यांत्रिक–44; विद्युत्–02)	39 (सिविल–14; यांत्रिक–23; विद्युत्–02)	15	
18	कनीय अभियंता (जे.ई.)	549 (सिविल–429; यांत्रिक–70; विद्युत्–50)	71 (सिविल–67; यांत्रिक–04; विद्युत्–00)	478 (सिविल–362; यांत्रिक–66; विद्युत्–50)	87	
19	सहायक नगर नियोजक	10	00	10	100	
		2,982	**599**	**2,383**	**80**	

***(स्रोतः** नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)*

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भः कंडिका 3.7.4; पृष्ठ–63)

सेवा स्तर मानकों में निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध नगर निगमों की उपलब्धि

सूचक	मानक लक्ष्य	बारह नगर निगमों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति (प्रतिशत में)*											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जलापूर्ति													
जलापूर्ति संयोजन की व्याप्ति	100%	53	180	86	105	191	37	0	31	63	93	57	37
मीटरिंग का विस्तार	100%	उपलब्ध नहीं											
जलापूर्ति की निरंतरता	24 घंटे												
जल उपभोग शुल्क के संग्रहण में दक्षता	90%												
ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता	80%												
मल व्यवस्था													
शौचालय की व्याप्ति	100%	77	100	95	100	98	99	100	98	100	99	100	94
मल व्यवस्था तंत्र की व्याप्ति	100%	50	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	64	0	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	34	उपलब्ध नहीं	0
ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता	80%												
स्टॉर्म जल निकासी की व्यवस्था													
स्टॉर्म जल निकासी तंत्र की व्याप्ति	100%	प्रक्रियाधीन											
जल जमाव एवं बाढ़ की घटना	0%												
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन													
घरेलु स्तर पर व्याप्ति	100%	उपलब्ध नहीं											
ठोस अपशिष्ट के संग्रहण में दक्षता	100%												
नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण का विस्तार	100%												
नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरिके से निपटान का विस्तार	100%												
ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता	80%												

***(स्रोत** : नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)*

** 1. पटना 2. बिहारशरीफ 3. आरा 4. गया 5. मुजफ्फरपुर 6. बेगूसराय 7. मुंगेर 8. पूर्णिया 9. कटिहार 10. छपरा 11. दरभंगा 12. भागलपुर*

टिप्पणी (i) नगर परिषदों के संबंध में जलापूर्ति की व्याप्ति 21 प्रतिशत (फॉरबिसगंज) और 153 प्रतिशत (बख्तियारपुर) के बीच थी; आगे, नगर पंचायतों के संबंध में यह शून्य (रफीगंज) से 174 प्रतिशत (जनकपुर रोड) के बीच थी।

(ii) *नगर परिषदों के संबंध में शौचालयों की व्याप्ति 86 प्रतिशत (बाढ़) और 100 प्रतिशत (19 नगर परिषद्) के बीच थी; आगे, नगर पंचायतों के संबंध में यह 85 प्रतिशत (सिलाव) से 100 प्रतिशत (47 नगर पंचायत) के बीच थी।*

परिशिष्ट 3.4(क)

(संदर्भः कंडिका 3.8.1.3; पृष्ठ 68)

वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान सभी शहरी स्थानीय निकायों का राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2015–20
1. स्व कर राजस्व						
क) सम्पत्ति कर	129.51	177.06	178.44	219.18	176.69	880.88
ख) अन्य						0.00
कुल	129.51	177.06	178.44	219.18	176.69	**880.88**
2. स्व गैर कर राजस्व						
क) शुल्क आदि	16.27	36.76	33.27	33.24	29.00	148.54
ख) नागरिक सुविधा के लिए उपभोक्ता शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) अन्य	27.73	34.07	37.55	45.77	40.02	185.15
कुल	44.00	70.83	70.83	79.01	69.02	**333.69**
3. 14वीं वित्त आयोग अनुदान						
क) मूल अनुदान	255.85	351.86	405.11	473.68	637.79	2124.28
ख) निष्पादन अनुदान	0.00	104.22	0.00	0.00	0.00	104.22
कुल	255.85	456.07	405.11	473.68	637.79	**2,228.50**
4. पंचम राज्य वित्त आयोग						
क) प्रतिनिधायन	512.65	638.54	596.62	581.64	729.68	3,059.13
ख) अनुदान	268.67	287.31	444.83	532.90	546.23	2,079.94
कुल	781.32	925.85	1,041.45	1,114.54	1,275.91	**5,139.07**
5. नियत राजस्व	195.08	207.71	180.49	280.95	211.39	**1,075.62**
6. केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	211.23	1,111.26	1,059.07	1,172.50	341.14	**4,058.20**
7. राज्य प्रायोजित योजनाएं	654.23	547.60	657.77	648.15	581.84	**3,089.58**
कुल योग	**2,271.22**	**3,496.38**	**3,593.15**	**3,988.01**	**3,293.78**	**16,805.54**

(स्रोतः षष्ठम राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 3.4(ख)

(संदर्भः कंडिका 3.8.1.3; पृष्ठ 68)

वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान सभी शहरी स्थानीय निकायों का व्यय

(₹ करोड़ में)

मद	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2015–20
1. स्थापना						
क) वेतन	381.90	511.47	548.64	630.17	540.72	2,612.90
ख) पेंशन						
ग) अन्य (दैनिक मजदूरी एवं प्रशासनिक व्यय)	125.20	36.38	61.63	92.73	73.66	389.61
कुल	507.10	547.85	610.27	722.91	614.38	**3,002.52**
2. नागरिक सेवा का प्रचालन एवं संधारण	213.17	273.11	373.28	299.87	346.25	**1,505.67**
3. केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	211.23	1,111.26	1,059.07	1,175.50	501.14	**4,058.20**
4. राज्य बजट	1,121.64	1,147.34	1,300.02	1,347.52	1,411.13	**6,327.66**
कुल योग	**2,053.24**	**3,079.56**	**3,342.64**	**3,545.80**	**2,872.90**	**14,894.14**

(स्रोतः षष्ठम राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भः कंडिका 3.8.4; पृष्ठ 70)

इकाईवार महत्वपूर्ण अभिलेखों का संधारण नहीं किया जाना

क्रम सं.	महत्वपूर्ण अभिलेख (संधारित नहीं)	संबंधित इकाई
1	लेखापाल रोकड़ बही	(क) नगर पंचायत, राजगीर
		(ख) नगर परिषद्, मधुबनी
2	अग्रिम पंजी	(क) नगर परिषद्, बाढ़
		(ख) नगर निगम, आरा
3	सम्पत्ति पंजी	(क) नगर पंचायत, घोघरडीहा
		(ख) नगर पंचायत, जयनगर
		(ग) नगर परिषद्, बाढ़
		(घ) नगर परिषद्, हिलसा
		(ङ) नगर परिषद्, मधुबनी
		(च) नगर निगम, आरा
		(छ) नगर निगम, बिहारशरीफ
4	रोकड़पाल रोकड़ बही	(क) नगर पंचायत, अरेराज
		(ख) नगर पंचायत, राजगीर
		(ग) नगर पंचायत, शेरघाटी
		(घ) नगर परिषद्, बाढ़
		(ङ) नगर परिषद्, शेखपुरा
		(च) नगर निगम, आरा
5	मांग पंजी	(क) नगर पंचायत, खुशरूपुर
		(ख) नगर पंचायत, जयनगर
		(ग) नगर परिषद्, बाढ़
		(घ) नगर परिषद्, मधुबनी
		(ङ) नगर निगम, आरा
6	अनुदान पंजी	(क) नगर परिषद्, बाढ़
		(ख) नगर परिषद्, मधुबनी
		(ग) नगर परिषद्, मसौढ़ी
		(घ) नगर निगम, आरा
7	योजना पंजी	(क) नगर पंचायत, राजगीर
		(ख) नगर परिषद्, बाढ़
		(ग) नगर परिषद्, मधुबनी
		(घ) नगर परिषद्, शेखपुरा

(स्रोतः निरीक्षित इकाईयों के निरीक्षण प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भः कंडिका 3.8.5; पृष्ठ 70)

बी.आर.एस. का तैयार नहीं किया जाना

(₹ लाख में)

क्रम सं.	इकाई	क्या बी.आर.एस. तैयार किया गया	रोकड़ बही एवं पास बुक में अंतर	इकाई का जवाब
1	नगर पंचायत, राजगीर	नहीं	30.81 (दिनांक 31.03.2019 को)	संबंधित राशि का मिलान करने के बाद बी.आर.एस. तैयार किया जाएगा।
2	नगर परिषद्, मधुबनी	नहीं	18.01 (दिनांक 31.03.2019 को)	बी.आर.एस. तैयार किया जाएगा।
3	नगर निगम, गया	नहीं	888.50	कोई जवाब नहीं दिया गया।
4	नगर पंचायत, जयनगर	नहीं	–	त्रुटियों का पता कर इसे लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाएगा।
कुल			**₹ 937.32**	

*(**स्रोतः** लेखापरीक्षा इकाईयों के अभिलेख)*

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भः कंडिका 4.2; पृष्ठ 76)

गलत निर्धारण से राजस्व की हानि

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	पी.आई.डी. सं.	अधिग्रहण की तिथि	वर्त्तमान ए.आर.वी. के निर्धारण के लिए विचार किए जानेवाला सड़क	एस.ए. एस. फार्म के अनुसार वर्त्तमान ए.आर.वी. (क)	पते के अनुसार विचार किए जानेवाला सड़क	ए.आर.वी. जो निर्धारित की जानी थी (ख)	वर्त्तमान संपत्ति कर (ए.आर.वी. का प्रतिशत) (ग)	संपत्ति कर जिसकी वसूली की जानी थी (ए.आर.वी. का प्रतिशत) (घ)	प्रति वर्ष कम वसूली (घ–ग)	कुल अवधि (वर्ष में)	2019–20 तक कम वसूली
1	2159298	01.04.2004	अन्य सड़क	1,91,189	प्रधान मुख्य सड़क	5,73,566	17,207	51,621	34,414	16	5,50,624*
2	2157888	01.04.1982	अन्य सड़क	15,97,709	प्रधान मुख्य सड़क	47,93,126	1,43,794	4,31,381	2,87,587	26#	74,77,262*
3	2112751	01.04.2002	मुख्य सड़क	1,87,200	प्रधान मुख्य सड़क	2,80,800	16,848	25,272	8,424	18	1,51,632
4	2175450	01.04.1975	मुख्य सड़क	2,59,538	प्रधान मुख्य सड़क	3,89,307	23,358	35,034	11,676	26#	3,03,576
5	2091828	01.04.2012	मुख्य सड़क	1,37,664	प्रधान मुख्य सड़क	2,06,496	12,390	18,585	6,195	7	43,365
कुल योग											**85,26.459**

** वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रधान मुख्य सड़क के अनुसार कर भुगतान किया जा रहा है ।*

 # समय अवधि की गणना वित्तीय वर्ष 1994–95 से की गयी है अर्थात सड़कों के वर्गीकरण से संबधित अधिसूचना के बाद।

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भः कंडिका 4.2; पृष्ठ 76)

शास्ति नहीं लगाने से राजस्व की हानि

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	पी.आई.डी. सं.	जिस तिथि से संसोधित होल्डिंग कर वसूल किया जाना था।	वर्त्तमान ए.आर.वी. के लिए विचार किए जानेवाला सड़क	एस.ए.एस. फार्म के अनुसार वर्त्तमान ए.आर.वी.	पते के अनुसार विचार किए जाने वाला सड़क	ए.आर.वी. जो निर्धारित की जानी थी	वर्त्तमान संपत्ति कर (ए.आर.वी. का प्रतिशत)	संपत्ति कर जिसकी वसूली की जानी थी (ए.आर.वी. का प्रतिशत)	प्रति वर्ष कम वसूली	अवधि (वर्ष में)	शास्ति (कम वसूली का 100 प्रतिशत)
1	2159298	01.04.2014	प्रधान मुख्य सड़क	1,91,189	प्रधान मुख्य सड़क	5,73,566	17,207	51,621	34,414	6	2,06,484*
2	2157888	01.04.2014	प्रधान मुख्य सड़क	15,97,709	प्रधान मुख्य सड़क	47,93,126	1,43,794	4,31,81	2,87,587	6	17,25,522*
3	2112751	01.04.2014	मुख्य सड़क	1,87,200	प्रधान मुख्य सड़क	2.80,800	16,848	25,272	8,424	6	50,544
4	2175450	01.04.2014	मुख्य सड़क	2,59,538	प्रधान मुख्य सड़क	3,89,307	23,358	35,034	11,676	6	70,056
5	2091828	01.04.2014	मुख्य सड़क	1,37,664	प्रधान मुख्य सड़क	2,06,496	12,390	18,584	6,195	6	37,170
कुल योग											**20,89,776**

** वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रधान मुख्य सड़क के अनुसार कर भुगतान किया जा रहा है।*

संक्षिप्तियों की शब्दावली

संक्षिप्तियों की शब्दावली

पं.रा.वि.आ.	पंचम राज्य वित्त आयोग	स.स्था.स.	सशक्त स्थायी समिति
ष.रा.वि.आ.	षष्ठम राज्य वित्त आयोग	सा.वि.नि.	सामान्य वित्तीय नियमावली
ते.वि.आ.	तेरहवीं वित्त आयोग	ग्रा.पं.	ग्राम पंचायत
चौ.वि.आ.	चौदहवीं वित्त आयोग	ग्रा.पं.वि.यो.	ग्राम पंचायत विकास योजना
पं.वि.आ.	पंद्रहवीं वित्त आयोग	ग्रा.पं.प्र.प्र.	ग्राम पंचायत प्रबंधन प्रणाली
वा.ले.प.यो.	वार्षिक लेखापरीक्षा योजना	नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन
सा.आ.	सार आकस्मिक	स्था.नि.	स्थानीय निकाय
म.ले.	महालेखाकार	स्था.नि.अ.	स्थानीय निधि अधिनियम
वा.कि.मू.	वार्षिक किराया मूल्य	मॉ.ले.प्र.	मॉडल लेखाकंन प्रणाली
वा.त.नि.प्र.	वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन	मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
प्र.वि.पदा.	प्रखंड विकास पदाधिकारी	पं.रा.मं.	पंचायती राज मंत्रालय
बि.वि.नि.	बिहार वित्तीय नियमावली	मा.प्र.प्र.	मासिक प्रगति प्रतिवेदन
बु.अ.	बुनियादी अनुदान	लो.ले.स.	लोक लेखा समिति
बि.न.अ.	बिहार नगरपालिका अधिनियम	नि.अ.	निष्पादन अनुदान
बि.न.ले.नि.	बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली	प.न.नि.	पटना नगर निगम
बि.पं.रा.नि.	बिहार पंचायत राज नियमावली	पं.रा.वि.	पंचायती राज विभाग
प्र.पं.रा.प.	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी	पं.रा.सं.	पंचायती राज संस्थान
बि.पं.स.जि.प. (ब. एवं ले.) नि.	बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (बजट एवं लेखा) नियमावली	प्रियासॉफ्ट	पंचायती राज इंस्टीट्यूसन अकाउन्टिंग सॉफ्टवेयर
पि.क्षे.अ.नि.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	पं.स.	पंचायत समिति
बि.को.सं.	बिहार कोषागार संहिता	रा.वि.आ.	राज्य वित्त आयोग
सं.सं.अ.	संविधान संशोधन अधिनियम	से.स्त.मा.	सेवा स्तर मानक
नि.म.ले.प.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	त.मा.स.	तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग
मु.का.प.	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	उ.प्र.प.	उपयोगिता प्रमाण पत्र
के.वि.आ.	केन्द्रीय वित्त आयोग	न.वि. एवं आ.वि.	नगर विकास एवं आवास विभाग
वि.आ.	विस्तृत आकस्मिक	श.स्था.नि.	शहरी स्थानीय निकाय
नि.स्था.नि.अं.नि.	निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय	जि.प.	जिला परिषद्
जि.पदा.	जिला पदाधिकारी	मु.ग्रा.का.	मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम
जि.यो.स.	जिला योजना समिति	मु.नि.यो.	मुख्यमंत्री निश्चय योजना
जि.पं.रा.प.	जिला पंचायत राज पदाधिकारी	पं.रा.मं.	पंचायती राज मंत्रालय
स्था.ले.प.	स्थानीय लेखा परीक्षक		